अ0शा0 परिपत्र संख्या: डीजी/42/2019

ओ0 पी0 सिंह,
आई.पी.एस.

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश

दिनांक : सितम्बर 26, 2019

प्रिय महोदय,

विदित है कि मोटर व्हीकिल (अमेण्डमेन्ट) बिल-2019 दिनांक 01-09-2019 से सम्पूर्ण भारत वर्ष में प्रभावी हो गया है। प्रदेश की यातायात व्यवस्था में सुधार एवं सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाना वर्तमान सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है। साथ ही सुदृढ़ पुलिस व्यवस्था का ऑकलन कानून-व्यवस्था के साथ ही यातायात प्रबन्धन से भी किया जाता है।

2- उल्लेखनीय है कि वाहन चेकिंग के नाम पर वाहन चालकों का उत्पीड़न आदि न किये जाने के सम्बन्ध में पूर्व में निर्देश निर्गत किये जाने के उपरान्त अभी भी यह शिकायतें प्राप्त हो रही है कि पुलिस कर्मियों द्वारा वाहनों के कागजात यथा- प्रदूषण, पंजीकरण प्रमाण-पत्र, बीमा व अन्य कागजात चेक किये जा रहें हैं।

3- यातायात का निर्बाध संचालन एवं सड़क अनुशासन को और बेहतर बनाये जाने हेतु निम्न निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाय -

(i) वाहनों के कागजात चेक करने के लिये वाहनों को न रोका जाय।

(ii) बिना हेल्मेट, सीटबेल्ट आदि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों का ही मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 130(1) के अन्तर्गत मात्र ड्राइविंग लाइसेंस चेक किया जाय।

(iii) डिजीलाकर (Digilocker) या एम॰परिवहन एप (mParivahan App) पर उपलब्ध वाहनों के अभिलेखों (Documents) को वैध माना जाय।

(iv) यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध प्रवर्तन की कार्यवाही समान, निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप से किया जाय।

अत: आप स्वयं व्यक्तिगत रूचि लेकर इस दिशा में अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुये उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

26.9.19

(ओ0 पी0 सिंह)

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक (नाम से)
प्रभारी जनपद उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1- समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

2- समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/ पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि पुलिस महानिरीक्षक, यातायात, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

Scanned by CamScanner